

राजस्थान विधान सभा
द्वितीय सत्र
कार्य-सूची
बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2014
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

प्रतिवेदन एवं लेखे

- 1- श्री गुलाब चन्द कटारिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे :-
 - 1- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3) (एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013.
 - 2- भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 62वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012. एवं
 - 3- राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1971 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण लेखे वर्ष 2012-2013.
- 2- श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे :-
 - 1- आउटपुट बजट वर्ष 2012-2013 एवं आउटकम बजट वर्ष 2013-2014.
 - 2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013.
 - 3- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 65वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012. एवं
 - 4- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(ए) के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013.

जारी..2..

- 3- श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-
- 1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 ;
 - 2- महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013. एवं
 - 3- स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा - 32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013
- 4- श्री गजेन्द्र सिंह , ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग के निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे :-
- 1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2011-2012 ;
 - 2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2012-2013 ; एवं
 - 3- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2011-2012 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट।
- 5- श्री सांवरलाल, जल संसाधन मंत्री, मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 सदन की मेज पर रखेंगे ।
- 6- श्री युनूस खान, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2012-2013 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

- I- श्री बाबूसिंह, सदस्य, विधान सभा, पंचायत समिति बालेसर एवं शेरगढ़ में नकारा नलकूप एवं नकारा ओपनवेल के स्थान पर गुणवत्ता वाले भूजल स्थल पर नवीन नलकूप खुदवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।
- II- श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, किशनगढ़ (अजमेर) विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नेशनल हाईवे-8 पर स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय पाटन में नवीन 132 के.वी.जी.एस.एस. की स्थापना की सक्षम स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2014-2015 में जारी कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

..3..

4. परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015

प्रथम अवस्था

अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली
सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

तौफीक हुसैन हाशमी
उप सचिव (सामान्य)

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 15 जुलाई, 2014